

क्रि.उ.नं. 191/16

अभिलेख राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थापित। अभिलेख में अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रक्रिया की वैधानिक समयावधि बीत चुकी है।

अतः वाद की कार्यवाही आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से समाप्त की जाती है।

सदस्य

1. Arun Kumar 9/9/17

2. [Signature]
9/9/17

3. Shyama
9/9/17